रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1292/2026/1877/22-2-2026-17(321)/2026
लखनऊ : दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

शुद्धि-पत्र

कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-13928/प्रोबे0-5-दया बैठक-26.03.2026, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 के साथ संलग्न जेल दिनांक 28.11.2025 में अंकित मूल निवास/पते के अनुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामबाबू (बन्दी सं0-1631/2024) पुत्र श्री शिवराम, ग्राम-भटपुरा, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर देहात को कारागार से मुक्त किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-821/2026/779/22-2-2026-17(321)/2026, दिनांक 25.06.2026 की तीसरी पंक्ति, 11वीं पंक्ति एवं पृष्ठांकन सं0-2/3 में जनपद कानपुर देहात अंकित किया गया है।

2- उक्त के क्रम में अधीक्षक (मु0) कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-35120/प्रोबे0-5/दया0/के0का इटावा-4204, दिनांक 18.09.2026 द्वारा प्रश्नगत बंदी की रिहाई विषयक शासनादेश संख्या-821/2026/779/22-2-2026-17(321)/2026, दिनांक 25.06.2026 में जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर अंकित कर संशोधित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3- तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या-821/2026/779/22-2-2026-17(321)/2026, दिनांक 25.06.2026 की 11वीं पंक्ति में अंकित जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एवं पृष्ठांकन सं0-2/3 में अंकित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, कानपुर नगर पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 25.06.2026 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अंकित तथ्य यथावत रहेगें।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1292/2026/1877(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-35120/ प्रोबे0-5/दया0/के0का0 इटावा-4204, दिनांक 18.09.2026 पर किये गये अनुरोध के क्रम में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, कानपुर नगर।
4- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
5- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
7- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-24984/2025 रामबाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 एवं दिनांक 12.12.2025 के सन्दर्भ में।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-821/2026/779/22-2-2026-17(321)/2026
लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामबाबू (बन्दी सं0-1631/2024) पुत्र श्री शिवराम, ग्राम-भटपुरा, थाना-शिवराजपुर, जनपद-कानपुर देहात का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या- 308/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 30.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.01.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनांक 28.11.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष, 04 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-821 /2026/779(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-24984/2025 रामबाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 एवं दिनांक 12.12.2025 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in